

राजस्थान सरकार  
- गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 3(1) गृह-10/2012

जयपुर, दिनांक 16.08.2022

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का पुनर्विलोकन करने हेतु गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित सहायक अभियोजन अधिकारियों को अभियोजन अधिकारी के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (9300-34800) ग्रेड पे-(14) 4800/- **Pay Matrix L-12 in Revised Pay Rules 2017** में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथी से देय होगा -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति वर्ष	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री चरण सिंह सोलंकी	2020-21	सामान्य वर्ग	14.05.2020
2.	श्री विजयपाल सिंह	2020-21	सामान्य वर्ग	14.05.2020

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. अतिरिक्त निदेशक, न्याय/अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)  
राजस्थान, जयपुर